ई-मेल

निर्वाचन तत्काल

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग

निर्वाचन भवन

58, अरेरा हिल्स, भोपाल (म.प्र.)—462 011

ज्ञापन क्र. एफ–37–10/2009/तीन/1637 दिनांक 23/12/2009

प्रति,

कलेक्टर एवं
जिला निर्वाचन अधिकारी,
(समस्त) मध्यप्रदेश।

विषयः जिला पंचायत वार्ड की सीमाओं के सम्बन्ध में।

जिलों से प्राप्त प्रस्ताव के आधार पर त्रि–स्तरीय पंचायत चुनाव के घोषित कार्यक्रम में जिले के विभिन्न विकासखण्डों में चुनाव तीन तिथियों में कराये जा रहे हैं जिनकी चरणवार जानकारी आपको उपलब्ध करायी जा चुकी है।

2/ कतिपय जिलों में यह देखने में आया है कि जिला पंचायत सदस्य के निर्वाचन क्षेत्र का विस्तार एक से अधिक विकासखण्डों में है, अर्थात् जिला पंचायत के किसी सदस्य के निर्वाचन क्षेत्र की कुछ पंचायतें एक विकासखण्ड में हैं तथा कुछ पंचायतें दूसरे विकासखण्ड में हैं। ऐसी स्थिति में यह आवश्यक हो जाता है कि इस प्रकार के प्रकरणों में सम्बन्धित दोनों विकासखण्डों में निर्वाचन एक ही दिन सम्पन्न कराये जायें क्योंकि त्रि–स्तरीय पंचायत चुनाव में मतगणना का कार्य भी मतदान समाप्ति के उपरांत मतदान स्थल पर ही किया जाता है। यदि इस प्रकार से overlap हो रहे दो विकासखण्डों में चुनाव प्रक्रिया पृथक–पृथक चरणों में करायी जाती है तो सम्बन्धित जिला पंचायत सदस्य के निर्वाचन का आंशिक परिणाम प्रथम चरण की मतगणना के उपरांत सार्वजनिक हो जायेगा जो सम्बन्धित क्षेत्र के द्वितीय चरण में होने वाले मतदान को प्रभावित कर सकता है।

3/ **उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में आपसे अनुरोध है कि कृपया तत्काल अपने जिले के जिला पंचायत सदस्यों के निर्वाचन क्षेत्र के सम्बन्ध में उक्त तथ्य का परीक्षण कर लें एवं यदि कहीं ऐसी स्थिति बनती है कि किसी जिला पंचायत सदस्य के निर्वाचन क्षेत्र का विस्तार एक से अधिक विकासखण्डों में है तो उन विकासखण्डों में निर्वाचन एक ही दिनॉक में कराये जाने हेतु प्रस्ताव आज ही प्रेषित करें। कृपया इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए।**

(अनुपम राजन)
सचिव,
म0प्र0 राज्य निर्वान आयोग,भोपाल।